

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर
(जी-३, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, २२ गोदाम, जयपुर)

क्रमांक:प.१(क)(१७)कार्मिक/आर.एम.एस./डी.एल.बी/१७/१९२०

दिनांक: ०१-८-१७

अधिशाषी अधिकारी,
नगर पालिका,
मुकुन्दगढ़।

विषय: ०१ जुलाई, २०१७ को वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भ में विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक ९७३२-४५ दिनांक २५.०७.१७ द्वारा श्री हेमन्त कुमार तंवर, कर निर्धारक हाल अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, मुकुन्दगढ़ की दिनांक ०१ जुलाई, २०१७ की वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत की गई थी।

वित विभाग, नियम अनुभाग से जारी आज्ञा दिनांक २८.०७.१७ द्वारा ग्रेड पे ४८००/- में सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारियों का दिनांक ०१.०७.१३ या इसके पश्चात् प्रारम्भिक वेतन दिनांक ०१.०७.१३ से प्रभावी अनुसूची-V के अनुसार निर्धारित किया गया है उन कर्मचारियों को दिनांक ०१.०७.१७ को देय वार्षिक वेतन वृद्धि को आगामी आदेशों तक स्थगित रखते हुए जुलाई, २०१७ का वेतन भुगतान किया जावेगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि उक्त ग्रेड पे के क्षेत्रिक कर्मचारियों को यदि दिनांक ०१.०७.१७ की वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत की जा चुकी है तो उनकी स्वीकृत वेतन वृद्धि को स्थगित करते हुए वेतन बिल संशोधन कर माह जुलाई, २०१७ के वेतन का भुगतान किया जावेगा।

अतः विभाग द्वारा श्री हेमन्त कुमार तंवर, कर निर्धारक को विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक ९७३२-४५ दिनांक २५.०७.१७ द्वारा ०१ जुलाई, २०१७ की स्वीकृत की गई वार्षिक वेतन वृद्धि आगामी आदेशों तक स्थगित की जाती है। अतः वेतन बिल संशोधित कर माह जुलाई, २०१७ का वेतन भुगतान किया जावे।

(मुकेश कुमार मीणा)
अतिरिक्त निदेशक